फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम अजमेर

त उपखण्ड अधिकारी

खंगारा .... बनाम बंशीलाल वगेरह

मुकदमा 88,188 नम्बर 97 / 2012......सन ....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
16.07.2018	पत्रावली पेश हुई। वकिल उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वादी की ओर से अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यो को दोहराया व कथन किया कि वादी खगारा का स्वर्गवास हो गया है के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे जवाब में वकिल प्रतिवादी श्री एन.एम जैन का कथन है कि खगारा की मृत्यु दिनांक दिनांक 11.7.2013 हुई । तथा खगारा पुत्र बीरम का स्वर्गवास दिनांक 15.10.2013 को होने की सूचना आवेदन पत्र में प्रस्तुत की परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादी खंगारा के स्वर्गवास की तारीख माह अंकित नंही की गई है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 के साथ रूल्स 9 अबेटमेन्ट सेससाईट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया हे। ऐसी अवस्था में वादी खगारा का स्वर्गवास 11.7.2013 को हुआ । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 22 नियम 3 का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.1.2014 को प्रस्तुत किया गया है। जो निश्चत रूप से 90 दिवस बाद प्रस्तुत किया गया है मृत्यु के 90 दिवस बाद वाद स्वमेव उपसमित हो जाता है। वादी द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र 24.11.2017 को बाबत 22 नियम 9 प्रस्तुत किया गया है। इतने समय बाद अबेटमेन्ट सेससाइट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य प्रतित नही होता है। अतः वादी का वाद अबेटमेन्ट के आधार पर उपसमित होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।	